इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च 2017—फाल्गुन 12, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2017

क्र. ई-1-32-2017-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 फरवरी 2017 की तालिका (1) के अनुक्रमांक 5, जिसके द्वारा श्री प्रवीण सिंह अधयक, भाप्रसे (2012) मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत, भिण्ड को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, श्री प्रवीण सिंह अधयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्र. एफ 5-1-2015-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

के राज्यपाल, जस्टिस श्री आलोक वर्मा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 6-1-2017 से से दिनांक 20-1-2017.	15	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में 5-1-2017 तथा अवकाश के पश्चात् 21 एवं 22-1-2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2017

क्र. एफ-1(ए)27-94-बं-2-दो.—राज्य शासन, श्री आलोक रंजन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु.मु., भोपाल को दिनांक 20 से 25 फरवरी 2017 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 18-19 एवं 26 फरवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री निश्चल झारिया, रा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), पु.मु., भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आलोक रंजन, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु.मु., भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)42-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा को दिनांक 27 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)156-93-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, इन्दौर को दिनांक 14 से 17 फरवरी 2017 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 फरवरी 2017 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करता है.

(2) श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आर. पी. श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)199-91-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को पुत्री की देखभाल हेतु दिनांक 8 से 23 मार्च 2017 तक, कुल 16 दिवस चाईल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सीताराम सत्या, पुलिस अधीक्षक, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त प्रभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्र. एफ-1(ए)68-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 दिसम्बर 2016 श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2016 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत गोहावटी (असम) की परिवार के साथ यात्रा करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(2) उक्त पूर्व स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे, को 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो इनके अवकाश खाते से 10 दिवस घटाये जायेंगे.

(3) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. एफ-1(ए)149-90-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आरएपीटीसी, इन्दौर को दिनांक 24 से 31 जनवरी 2017 तक, आठ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री जे. एस. कुशवाहा, भा.पु.से. पुलिस उप महानिरीक्षक आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पु. मु., भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)164-94-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 4 फरवरी 2017 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

(2) सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से., की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (गुप्त) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीलम पार्क एवं यादगार-ए-शांहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 21 फरवरी से 31 मार्च 2017 तक के लिये अस्थायी जेल घोषित करता है.

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, भदभदा रोड पर पुलिस लाईन, नेहरू नगर मैदान को दिनांक 22 फरवरी 2017 को अस्थायी जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. एंफ-1(सी)-16-2012-ई-चार.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43, सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त सूची के मद "क" विश्वविद्यालय में क्रमांक 23 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये,—

24. "सांची बौद्ध—भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय भोपाल"

निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें वही होगी जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावे.

No. F1 (C) 16-2012-E-IV.—In exercise of powers conferred by the sub-section (3) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (43 of 1973), the State Government, hereby make the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam:—

AMENDMENT

In the said schedule after serial number 23 of the item "A" universities the following serial number and entires relating thereto shall be added namely:—

24. "SANCHI UNIVERSITY OF BUDDHIST-INDIC STUDIES, BHOPAL"

Audit fees for the institute would be levied as fixed by the Government from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्र. 266-2711-2016-पचास-2.—देहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8 (ख) (4) अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला विधक सहायता अधिकारी) को अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के प्रभावी संपादन में, सलाह एवं सहायता देने के प्रयोजन हेतु 03 जिलों भिण्ड, अलीराजपुर, अशोकनगर में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी सूची निम्नानुसार है:—

क्र.	नाम	पद	योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)
जिला भिण्ड			
1.	श्री शिवकुमार दीक्षित	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमती अर्चना दीक्षित	सदस्य	महिला अधिवक्ता/ सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती अमिता गुप्ता	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री काजी कनवीर	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री नारायण स्वरूप श्रीवास्तव.	सदस्य	अधिवक्ता
जिला अलीराजपुर			
1.	श्री पवन गेहलोत	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्रीमती पुष्पलता शाह	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती विजय राठौड	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री नानसिंह चौहान	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री राकेश चौहान	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
जिला अशोकनगर			
1.	कुमारी रेखा नामदेव	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता.
2.	श्री लखन शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्रीमती माया शर्मा	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता
4.	श्री विष्णु विरथरे	सदस्य	अधिवक्ता
5.	श्रीमती रजनी शुक्ला	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. 212.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम सेजवाडा कलॉ, प. ह. नं. 63 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-564.132 हेक्टेयर	ग्राम-हिर्रीकोल, प. ह. नं. 63

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 20 फरवरी 2017

प्र. क्र. 3514-अ-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम टोल, तहसील कुक्षी, जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम:—टोल तहसील—कुक्षी, जिला धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से.	18.349	0.084	18.433
		18.349	0.084	18.433

अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम टोल, तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	अंसिचित	कुल	सिंचित	अंसिचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	नरसिंह पिता रिछु, महकुबाई पति स्व. रिछू, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	114	0.522	0.000	0.522	0.522	0.000	0.522

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	पानबाई पति चंदरसिंह, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	120/1	0.238	0.000	0.238	0.238	0.000	0.238
		120/7	0.239	0.000	0.239	0.239	0.000	0.239
		131/2/2	0.33	0.000	0.33	0.33	0.000	0.33
3	अमरसिंह पिता पातल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	120/2	0.238	0.000	0.238	0.238	0.000	0.238
		120/4	0.246	0.000	0.246	0.246	0.000	0.246
		120/8	0.239	0.000	0.239	0.239	0.000	0.239
		122	0.303	0.000	0.303	0.303	0.000	0.303
		123/3	0.403	0.000	0.403	0.403	0.000	0.403
		131/2/3	0.329	0.000	0.329	0.329	0.000	0.329
		117/2	0.200	0.000	0.200	0.100	0.000	0.100
		117/5	0.415	0.000	0.415	0.415	0.000	0.415
4	केलसिंह पिता पातल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	120/3	0.238	0.000	0.238	0.238	0.000	0.238
		120/5	0.247	0.000	0.247	0.247	0.000	0.247
		120/6	0.239	0.000	0.239	0.239	0.000	0.239
		123/1	0.697	0.010	0.707	0.697	0.010	0.707
		117/3	0.200	0.000	0.200	0.100	0.000	0.100
		131/2/1	0.329	0.000	0.329	0.329	0.000	0.329
5	चंदरसिंह पिता पातल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	123/2	0.707	0.000	0.707	0.707	0.000	0.707
		117/1	0.262	0.000	0.262	0.162	0.000	0.162
		117/4	0.416	0.000	0.416	0.200	0.000	0.200
6	दगडिया पिता नाहल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	124/1/1	0.322	0.000	0.322	0.322	0.000	0.322
		124/1/3	0.322	0.000	0.322	0.322	0.000	0.322
		124/1/4	0.323	0.000	0.323	0.323	0.000	0.323
7	छोटिया पिता नाहल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	124/1/2	0.644	0.000	0.644	0.644	0.000	0.644
		124/3	0.429	0.000	0.429	0.429	0.000	0.429
8	रूपसिंह पिता नवलसिंह, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	124/2	0.939	0.010	0.949	0.939	0.010	0.949
		126/2	1.631	0.000	1.631	1.631	0.000	1.631
9	मोहन, अनसिंह मडिया, गंगाराम, सरदार पिता थावला सकरीबाई पति स्व. थावला, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	124/4	0.470	0.000	0.470	0.470	0.000	0.470
		124/5	0.240	0.000	0.240	0.240	0.000	0.240

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	बापु पिता फाटिया, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	126/1	1.360	0.000	1.360	1.360	0.000	1.360
		133	0.000	0.042	0.042	0.000	0.042	0.042
		135	0.000	0.012	0.012	0.000	0.012	0.012
11	ज्वानसिंह पिता रामसिंह राजलीबाई पिता रामसिंह, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	129	3.658	0.000	3.658	3.658	0.000	3.658
		132	0.283	0.000	0.283	0.283	0.000	0.283
12	मलकीबाई पति स्व. रिछु, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	131/1	0.987	0.000	0.987	0.987	0.000	0.987
13	करमसिंह पिता मडिया, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	10/1	0.110	0.000	0.110	0.110	0.000	0.110
14	मेहताब पिता मडिया, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.	10/2	0.110	0.010	0.120	0.110	0.010	0.120
		योग . .	18.865	0.084	18.949	18.349	0.084	18.433

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 23 जनवरी 2017

क्र. 53-स्था.-निर्वा.-2017.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार, मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत धार जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:—

अनु. क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कुक्षी	श्री चन्द्रशेखर (चन्दू) पिता शरद चन्द्र मुकाती, निवासी सुभाष मार्ग हनुमान गली, कुक्षी, तहसील कुक्षी, जिला धार.	धारा-11 (5)

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 04 के परिपालन में ''प्रदेश की जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश'' करता है.

अत: यह निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

अरविंद दुबे, उपसचिव.

प्रदेश के जल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश

1. पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 13.3 के अन्तर्गत प्रदेश के जल क्षेत्रों में निजी निवेशकों को हाऊस बोट, क्रूज, मोटर बोट एवं अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों, गतिविधियों के लिये लायसेंस देने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को अधिकृत किया गया है.

2. सर्वप्रथम, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा ऐसे, ऐसे जल क्षेत्र का अनुमोदन किया जायेगा, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लायसेंस देने के लिए अधिकृत होगा. अधिसूचित जल क्षेत्र की सूची, सूची का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की वेबसाईट पर किया जायेगा एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा.

3. ऐसे अधिसूचित जल क्षेत्र में वहन क्षमता (Carrying Capacity) का अध्ययन एवं गणना करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा. एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन साधिकार समिति के अवलोकनार्थ रखा जायेगा. जिसके आधार पर साधिकार समिति यथोचित निर्णय ले सकेगी.

4. चूंकि अधिसूचित जल क्षेत्रों में प्रारंभ से ही बहुत बड़े स्तर पर पर्यटन गतिविधियां संचालित होना संभावित नहीं है. अत: जल क्षेत्र के वहन क्षमता (Carrying Capacity) के अध्ययन प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने तक लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं होगी एवं इन निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर प्रक्रिया अनुसार लायसेंस जारी किये जा सकेंगे.

5. अधिसूचित जल क्षेत्रों में जल पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों में निवेश, निवेश करने हेतु निजी निवेशकों को आमंत्रित करने बावत् सार्वजनित सूचना, विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से जारी की जायेगी.

6. इच्छुक निवेशकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में निवेश की अभिरूचि (Intention to Invest) हेतु आवेदन किया जायेगा. इस हेतु आवश्यक जानकारी सहित आवेदन, आवेदन का प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा. यथासंभव आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाईन होगी. आवेदन के साथ रुपये दो हजार का आवेदन शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा.

7. प्राप्त आवेदनों पर सात कार्य दिवस के भीतर निगम द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा. स्वीकृति की दशा में आवेदक को अभिस्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) दिया जायेगा, जिसका प्रारूप निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा.

8. निवेशक द्वारा हाउस बोट, क्रूज, मोटर बोट एवं अन्य प्रकार के नावों हेतु लायसेंस चाहे जाने की दशा में Indian Register of Shipping (IRS) का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा Indian Register of Shipping (IRS) तथा इसकी सहयोगी संस्था (IR Class systems and Solution Pvt. Ltd, (ISSPL) संयुक्त रूप से IR Class ब्रांड के अधीन सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की सेवायें प्रदान करती हैं.

9. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा Indian Register of Shipping के साथ सहयोग करने हेतु M.O.U. हस्ताक्षरित किया जायेगा.

10. नावों के अतिरिक्त अन्य उपकरणों यथा Adventure sports/Water Sports जैसे Parasailing zorbing, banana ride आदि के लिये सुसंगत राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय मानक के अनुरूप होने की अनिवार्यता होगी.

11. लायसेंस प्राप्त नाव अथवा अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों को संचालित करने, करने के लिये आवश्यक मानव संसाधन का प्रशिक्षण National Institute of Water Sports (NIWS) गोवा अथवा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चयनित किसी अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की संस्था से कराया जाना अनिवार्य होगा.

12. अभिस्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) जारी करने के पश्चात् बड़ी नावों की आपूर्ति के लिए एक वर्ष तथा छोटी नावों की आपूर्ति के लिए 6 माह की समयावधि दी जायेगी, जिसके अन्तर्गत Indian Register of Shipping (IRS) से प्रमाणित नौकाओं के लायसेंस हेतु आवेदन किया जाना होगा, जिस पर निगम द्वारा लायसेंस जारी किया जायेगा बड़ी नावों से तात्पर्य चार सीटर से अधिक क्षमता वाली अथवा सभी motorised boats से है. छोटी नावों से तात्पर्य non-motoriesed एवं चार सीटर तक की क्षमता वाली नावों से है.

13. लायसेंस का प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा. लायसेंस में संबंधित नौका का विवरण एवं प्रमाणीकरण सहित नौका पर कुल अनुमत्य पर्यटकों की संख्या, प्रशिक्षित नाविकों की अनिवार्यता, थर्ड, थर्ड पार्टी बीमा (Insurance) सुरक्षा के उपाय यथा Life Jackets, lifebuoy आदि की अनिवार्यता का विवरण अंकित होगा. बांधों की सुरक्षा संबंधी निर्देश, प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़ आदि की स्थिति में दायत्वि आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, तथा लायसेंस की शर्तों में बांधों की सुरक्षा से संबंधी निर्देश, प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़ आदि की स्थिति में आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये.

14. बड़ी नौकाओं के लिए लायसेंस शुल्क रुपये पचास हजार तथा छोटी नौकाओं के लिये रुपये दस हजार होगा. लायसेंस का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जायेगा जोकि Indian Register of Shipping के प्रमाणीकरण के उपरान्त होगा. नवीनीकरण के लिए शुल्क बड़ी नौकाओं के लिए रुपये पच्चीस हजार एवं छोटी नौकाओं के लिये रुपये पांच हजार होगा.

15. निवेशकों को लायसेंस प्राप्ति के पूर्व पर्यटकों के लिये थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस कराना अनिवार्य होगा.

16. नौका तथा जलक्रीड़ा की अन्य सुविधाएं, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के बोट क्लब एवं जेट्टी से संचालित करने की दशा में पर्यटकों से लिये जाने वाले शुल्क एवं टिकिट की व्यवस्था केन्द्रीकृत होगी. एक से अधिक ऑपरेटर द्वारा सुविधाएं दिये जाने की स्थिति में रोस्टर के निर्धारण की प्रक्रिया निगम द्वारा अपनायी जायेगी. एक जैसी गतिविधियों/सुविधाओं के लिये टिकिट, टिकिट की दरें समान होगी.

17. विशिष्ट गतिविधियों/सेवाओं के लिये टिकिट की दरें निर्धारित करने के लिये निजी संचालक स्वतंत्र होगा.

18. निवेशक द्वारा नौका अथवा जलक्रीड़ा संबंधी गतिविधियां संचालित करने के लिये स्वयं के बोट क्लब अथवा जेट्टी का निर्माण करने की स्थिति में टिकिट की दरें एवं विक्रय की उचित व्यवस्था करने के लिए वह स्वतंत्र होगा.

19. निजी जेट्टी/बोट क्लब के निर्माण की स्थिति में आपात परिस्थितियों में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका उपयोग किया जा सकेगा. इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख लायसेंस में किया जायेगा.

20. निगम द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/Indian Register of Shipping द्वारा अधिकृत सर्वेयर द्वारा नौका तथा जलक्रीड़ा उपकरणों का सभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रति उल्लंघन पर रुपये पांच हजार की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी एवं लायसेंस अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकेगा. उल्लंघन के निराकरण के उपरान्त निलंबन समाप्त किया जा सकेगा.

21. लायसेंस की शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर लायसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकेगा.

22. लायसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण के उपरान्त भी संचालक द्वारा नौका या जलक्रीड़ा उपकरणों का उपयोग कर पर्यटकों को जल पर्यटन कराने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी.

23. लायसेंस की स्वीकृति निलंबन अथवा निरस्तीकरण से संबंधित किसी आदेश के विरुद्ध सचिव, पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन अंतिम निर्णय करने के लिए अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा. सचिव, पर्यटन विभाग तथा प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रभार एक ही व्यक्ति के पास होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा अधिकृत कोई अन्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अपील की सुनवाई करेंगे, तथा उनका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा.

24. निगम को प्राप्त आवेदन शुल्क, लायसेंस शुल्क, शास्ति से प्राप्त होने वाली राशि आदि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति-2016 की कंडिका 9.8 के अंतर्गत गठित पृथक् मद में जमा की जायेगी.

25. जल पर्यटन हेतु उपरोक्तानुसार निर्देशों के पालन एवं नियमन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 05 के परिपालन में प्रदेश की जल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार जल क्षेत्रों की सूची अधिसूचित करता है.

अरविंद दुबे, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा लायसेंस देने के लिए अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची

1. इंदिरा सागर बांध का जल क्षेत्र (नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
2. ओंकारेश्वर बांध का जल क्षेत्र (नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
3. तवा बांध का जल क्षेत्र (तवा, देनवा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
4. बरगी बांध का जल क्षेत्र (नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
5. बाणसागर बांध का जल क्षेत्र (सोन एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
6. गांधीसागर बांध का जल क्षेत्र (चम्बल एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
7. मणीखेडा बांध का जल क्षेत्र (सिंध एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
8. हलाली बांध का जल क्षेत्र (हलाली एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
9. चांदपाठा बांध (जिला शिवपुरी) का जल क्षेत्र
10. ओरछा के निकट प्रवाहित बेतवा नदी का जल क्षेत्र
11. चौरल बांध का जल क्षेत्र (चौरल एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
12. गंगऊ बांध का जल क्षेत्र (केन एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
13. बारना बांध का जल क्षेत्र (बारना एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
14. मान बांध (धार) के जल क्षेत्र
15. मान नदी एवं सहायक नदियों सहित तथा जोबट फाटा बांध (अलीराजपुर) के जल क्षेत्र
16. हथनी नदी एवं सहायक नदियों के जल क्षेत्र.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा-11)

कटनी, दिनांक 31 जनवरी 2017

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, जिला उद्योग विभाग के फुडपार्क प्रयोजन में प्रस्तावित आंशिक भू-भाग का ही अर्जन किया जाना है एवं इसके निर्माण हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. आंशिक रकबे का अर्जन किया जाना है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	झिंझरी प.ह.नं. 29	1.90	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कटनी.	अमकुही फुडपार्क

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढपाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 21 फरवरी 2017

प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि सिंहपुर बैराज परियोजना बांध निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है, इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	महाराजपुर	मुखर्रा	0.800	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव.	सिंहपुर बैराज परियोजना के बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नौगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्र. 957-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-धनौरा रा.नि.मं.-धनौरा.	सुनवारा	2.37 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2017

पत्र क्र. 348-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस

कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सन्नेही सिगटी	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 350-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बछरा	9.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 352-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बरा	6.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 354-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान.	झूसी वृत्त.	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 356-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	गुजरा	4.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 358-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	वैरागल	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 360-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाट	रूगंवा	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 362-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पुतरिहा	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 364-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	समोगर	4.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 366-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	रिमार	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 368-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	कोरिगवां	10.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 370-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की

जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पडिया	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 372-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पैपखार	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 374-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	मढ़ा	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 376-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान.	जमुनिया-158	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 378-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	तिवरिगवां-433	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 380-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	बहेरा-710	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 382-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	झूसी-363	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 384-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	कौदा-653	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 386-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	उमरिया चौवेन-71.	3.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 388-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	भटिगवां-770	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 390-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	डिलहा-243	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 392-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	कोलहा-108	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 394-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	वेलहा-449	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 396-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	तिधरा-258	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 398-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	उमरी-52	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 400-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	अगडाल-12	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 402-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	चोरहटी-187	4.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 404-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस

कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	चोरहटा-186	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 406-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	खैरा-137	5.200	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 408-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रघुनाथपुर-546	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 410-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	तमरी-255	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 412-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	तमरा-251	5.600	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 9 जनवरी 2017

क्र.-भू-अर्जन-57(अ-82)2016-17-1357.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—बिलगांव, रा.नि.म. शहपुरा, प.ह.न.-16,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.460 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
97/3	0.02
97/1	0.02
97/4	0.02
97/2	0.02
96	0.03
94	0.03
150/1	0.04
150/2	0.05
174	0.04
175/1	0.04
175/3	-
185/1	0.02
175/2	0.02
185/2	0.01
191	0.01
189	0.02
186	0.03
187	0.02
188	0.01
योग . .	0.450
शासकीय भूमि . .	0.010
कुल योग . .	0.460

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 फरवरी 2017

प्र. क्र. 116-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की, कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—उमरिया, प.ह.नं. 00014

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.990 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
11	0.160	निजी भूमि
09	0.080	निजी भूमि
16	0.130	निजी भूमि
7/1	0.050	निजी भूमि
7/2	0.080	निजी भूमि
6	0.080	निजी भूमि
5	0.090	निजी भूमि
4	1.130	निजी भूमि
1	0.190	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . 0.990

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 117-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की, कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—हिनौता, प.ह.नं. 00014

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.660 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
50	0.200	निजी भूमि
51	0.010	निजी भूमि
63	0.010	निजी भूमि
52	0.120	निजी भूमि
95	0.080	निजी भूमि
62	0.010	निजी भूमि
96	0.010	निजी भूमि
97	0.090	निजी भूमि
98	0.100	निजी भूमि
147	0.010	निजी भूमि
148	0.010	निजी भूमि
146	0.150	निजी भूमि
135	0.010	निजी भूमि
136	0.170	निजी भूमि
138/2	0.060	निजी भूमि
355	0.060	निजी भूमि
354	0.010	निजी भूमि
353/1	0.020	निजी भूमि
353/2	0.120	निजी भूमि
352	0.010	निजी भूमि
351	0.120	निजी भूमि
348	0.010	निजी भूमि
349	0.010	निजी भूमि
333	0.060	निजी भूमि
350	0.010	निजी भूमि
342	0.010	निजी भूमि
341	0.010	निजी भूमि
343/1	0.050	निजी भूमि
336	0.120	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . 1.660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 119-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की, कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—बिरसिंहपुर, प.ह.नं. 00014

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.880 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
324/1	0.020	निजी भूमि
323	0.010	निजी भूमि
322	0.090	निजी भूमि
318/1	0.100	निजी भूमि
317	0.020	निजी भूमि
319	0.050	निजी भूमि
291/2	0.020	निजी भूमि
288/1	0.090	निजी भूमि
287	0.010	निजी भूमि
288/2	0.090	निजी भूमि
288/3	0.070	निजी भूमि
313/4	0.040	निजी भूमि
313/5	0.100	निजी भूमि
285	0.170	निजी भूमि
284	0.010	निजी भूमि
178/1	0.060	निजी भूमि
177	0.020	निजी भूमि
178/2 ka	0.070	निजी भूमि
178/2 kha	0.060	निजी भूमि
185	0.100	निजी भूमि
186	0.040	निजी भूमि
187	0.050	निजी भूमि
188	0.090	निजी भूमि
190/2	0.100	निजी भूमि
195/2	0.020	निजी भूमि
193	0.020	निजी भूमि
313/3	0.030	निजी भूमि
194	0.080	निजी भूमि
203	0.100	निजी भूमि
200	0.080	निजी भूमि
199	0.060	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि .	1.870	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2017

क्र. 304-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—सोहास

(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.597 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
801/1	0.040
801/2	0.040

(1)	(2)
451/2/क	0.120
17	0.012
814	0.020
1074/2	0.004
1074/1	0.004
574/1	0.006
548/2	0.048
709/1/2	0.024
848/1/3	0.040
848/1/2	0.036
800/4	0.028
682/1/1/ख	0.060
853/1/ब	0.028
436	0.010
805	0.028
434	0.020
539	0.018
395	0.040
399	0.020
1239	0.006
2	0.200
664/1	0.036
572	0.020
480	0.016
566	0.072
682/1/1/क	0.052
682/2/ख	0.020
787/1	0.016
537	0.008
846	0.080
540	0.080
706/1	0.084
706/2	0.060
706/3	0.073
789	0.028
793	0.016
709/1/1	0.020
787/2	0.024
853/1/क/2	0.040
योग	.1.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर एवं सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 306-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम—कुबरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.057 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
385/2	0.015
372	0.045
421	0.024
420	0.166
302/1/ख	0.024
308	0.136
371	0.008
425/7/5	0.058
393/3	0.100
304/3	0.010
385	0.002
408/1	0.010
407	0.016
403	0.020
302	0.032
303	0.004
385	0.100
441	0.010
443	0.010
446	0.115
300	0.004
308	0.136
398	0.012
योग	.1.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 308-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—डगडीहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.448 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
349	0.028
347	0.100
838	0.034
839	0.060
120	0.060
119	0.041
823	0.024
439	0.008
543	0.016
818	0.116
819	0.028
824	0.004
528	0.037
834	0.008
835	0.008
815	0.224
805	0.072
264	0.080
247	0.012
121	0.020
30	0.036
1032	0.048
830	0.030
527	0.058
532	0.040
542	0.020
1024	0.012
837	0.180
228/5	0.018
254/5	0.012
867	0.012
योग	1.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर एवं सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 310-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम—मेंहुती

(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.502 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2996	0.250
2134	0.052
2100	0.060
2104	0.020

(1)	(2)
3015/2	0.008
2807	0.112
योग	0.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 312-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—कुआँ

(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.589 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1209	0.072
1122	0.020
517/1	0.038
643/2	0.060
644/2	0.100
690/1610/1/1/1/1	0.044
663/1/क/3/1	0.038
689/1/1/1	0.008
550/1/2	0.016
550/2	0.016
550/1/1	0.016
663/1601/1	0.064
610/3	0.045
620/5	0.008
662	0.108
890/9	0.048
891/3	0.018
1501/1/2	0.024
892/1	0.011
681	0.124
643/1/1	0.080
643/1/2	0.028
644/1/1	0.100
644/1/2	0.050
647	0.115
646	0.004
645	0.005
661	0.048
659	0.004
660	0.019
677	0.012
586/1	0.012
586/2	0.012
678	0.101
663/1/ख	0.043
663/1/क/2	0.054
891/3	0.004
890/9	0.020
योग	1.589

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर एवं सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 फरवरी 2017

प्र. क्र. 100-रीडर-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस

बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—बालीपुर
(घ) क्षेत्रफल—1.616 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में) (2)
662/782/1	0.351
662	1.066
663	0.199
योग : .	1.616

(2) सार्वजनिक प्रयोजन.—औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-4 समूह-2 की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 228-भू-अर्जन-देपालपुर-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—देपालपुर
(ग) नगर/ग्राम—सलमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—88.059 हेक्टर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में.) (2)
362/2	2.104
363/4	0.081
363/5	0.264
364	0.930
365	2.715
366/4	2.548
366/3	0.190
366/1	2.547
366/2	4.022
367	4.541
342, 341/1	10.175
349/1	4.148
339	1.015
369/372	0.344
369/3	0.506
369/2	6.070
368/4	8.741
368/5	4.371
369/1/4	0.303
369/1/5	0.870
369/1/4/2	0.506
369/1/2	0.405
368/6	4.249
368/3	8.175
368/2	4.249
329/11	0.506
329/9	0.607
329/3	0.259

(1)	(2)
329/4	0.364
329/5	0.121
329/1/2/2ग	0.675
329/1/2/2ख	0.674
329/1/2/2क	0.674
329/1/1/2	1.265
329/8	0.303
340/3	0.607
329/1/2/4	0.809
337	0.101
341/2	0.728
349/2	0.789
351	0.368
348/2	0.032
350	1.416
352	0.324
353/3	0.057
362/3	2.044
353/2	0.720
362/1	0.547
योग . . .	88.059

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नवीन बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 234-भू-अर्जन-देपालपुर-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर

(ख) तहसील—देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम—कालीबिल्लौद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—412.474 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
1/1	0.454
1/2	0.454
3/3	0.640
1/3	0.454
1/4	0.454
2/1	0.498
2/2	0.502
3/1	1.149
2/3	0.744
2/4	0.255
31/3	0.688
3/2	0.057
3/6	0.006
3/4	0.506
3/5	0.639
4/1	2.376
25/5	1.563
100/2	0.065
223/5	0.080
4/2	2.376
223/1	0.081
5/1	1.454
5/2	1.684
5/4	0.230
6/1	1.824
6/2	1.621
6/3	0.756
30/5	0.555
6/4	0.253
6/5	0.253
8/1	0.291
9	2.574
98/2	0.145
8/2	0.206
94	1.416
98/3	0.085
10/1	0.400
10/2	0.506

(1)	(2)
81/2	0.688
11/1	1.214
13/1	1.356
11/2	1.214
11/3	0.575
13/3	0.678
12	0.947
13/2	0.678
14/1	1.578
17	0.041
14/2	0.789
15	0.624
16	0.178
18	1.278
19	0.267
20	1.096
21/1	0.761
21/2	0.757
25/4	0.760
21/3	0.757
87	0.882
96	0.829
98/1	0.656
98/4	0.146
95/279	0.506
22	2.533
59/1	3.550
23/1	0.692
23/2	0.769
24/1	1.983
24/3	0.871
24/2	1.265
56	3.824
77/1	1.360
78/1	2.592
79/1	0.387
25/1	4.913
28	1.197
207/2	3.269
223/4	0.340
25/2	2.691
30/1	1.291
155/2	0.032

(1)	(2)
223/3	0.340
25/3	1.566
26	0.890
108	0.918
109	0.182
29/1	1.202
30/2	0.829
223/2	0.445
30/3	0.551
30/4	0.555
86/1	1.256
165/3	0.037
31/1	0.684
31/2	0.684
33	4.120
34/1	1.263
34/2	2.853
34/3	0.910
34/4	0.356
35/1	0.644
35/2	0.826
35/3	0.092
35/4	0.644
35/9	0.393
38/1	0.686
35/5	0.644
37/1/4	0.474
38/2	1.079
35/6	0.785
40/2	0.939
35/7	0.785
35/10	0.253
37/1/2	0.474
40/1	0.939
35/8	0.785
40/3	0.939
36/1	0.769
36/2	1.457
36/3	0.769
37/1/1	0.474
37/2	0.729
37/1/3	0.474
37/3	0.486

(1)	(2)	(1)	(2)
39	0.615	66/6	0.172
41/1	0.696	66/3	0.171
42/1	1.109	66/7	0.171
41/2	1.052	66/8	0.172
42/2	0,930	66/4	0.036
46/1	8.660	66/9	0.152
46/3	5.058	70	1.878
46/4	5.058	72/1	0.477
46/5	4.047	72/2	0.313
47/2	0.014	72/3	0.253
47/1	0.622	73	1.352
174/4	0.506	74	1.263
49/1	0.510	75/1	1.391
49/4	0.700	75/2	0.761
49/2	1.214	76/1	0.049
49/3	1.139	76/2	0.756
61/2	1.324	97	1.267
62/1	0.858	76/3	1.076
49/5	1.139	76/4	1.080
60	1.747	80	0.975
61/1	0.421	86/2	1.012
62/5	0.069	89/2	0.509
50/2	3.035	89/7	0.508
52	2.242	89/8	0.509
54	1.505	89/3	0.022
53/1	2.661	89/4	0.046
53/2	2.662	170/5	0.230
53/3	2.815	89/5	0.022
57	3.100	89/6	0.044
58/1	1.769	89/9	0.506
58/2	9.705	89/10	0.506
208/2	3.508	89/11	1.595
58/4	3.719	170/1	0.260
62/2	2.529	170/6	0.023
62/4	0.506	93/1	1.052
68	0.934	101/2	0.377
69	1.485	101/3	0.331
62/3	1.055	93/3	0.782
187	2.120	101/4	0.649
63	1.262	93/4	1.186
66/1	0.259	101/5	0.242
66/2	0.171	95	0.368
66/5	0.171	99/1	1.214

(1)	(2)	(1)	(2)
99/2	1.214	195/6	1.165
99/3	0.077	194	3.532
99/4	0.494	202	5.731
99/5	0.505	227	0.421
99/6	0.547	195/1	2.225
99/7	0.214	195/4	0.101
100/1	0.065	195/5	1.161
101/1	1.598	195/7	0.380
149/1	1.141	195/8	0.379
222/2	0.146	201	3.642
225/2	0.129	207/1	3.298
149/2	1.141	207/3	3.298
150/2	0.069	207/4	3.318
222/1	0.145	208/1	3.508
225/1	0.130	209	4.679
218/2	0.022	210	2.707
219/2	0.335	211	2.403
226/2	0.372	213	1.747
152/1, 152/2	0.454	214	6.191
153	0.676	215	1.227
157/2	0.049	216	1.424
155/1	0.032	217	3.362
156/1	0.356	224	0.458
156/2	0.405	220/2/1	0.053
157/1	0.784	220/2/2	0.049
161/3	0.469	244	0.049
161/1	0.125	220/3	0.053
161/2	0.255	243/1	0.040
164/1	2.063	243/2	0.041
165/1	0.344	220/4	0.032
165/2	0.348	245	0.041
164/2	2.067	246/3	0.024
165/4	0.311	221/1	1.619
170/7	0.028	221/3	1.821
172/1	2.574	221/4	1.145
172/3	0.506	221/5	1.141
174/1	1.260	221/6	1.062
185	1.701	221/8	0.279
186/1	1.429	221/7	0.759
186/2	0.587	226/1	0.506
186/3	0.587	229/1	1.197
186/4	0.254	229/2	2.004
188/1	1.769	233/1/4	0.121

(1)	(2)
233/3	0.032
233/5	0.041
233/6	0.008
235	0.348
246/1/1/3	0.081
233/4	0.016
241	0.041
239	0.049
240/2	0.036
234	0.061
236	0.085
237	0.162
238	0.113
242	0.073
246/4	0.121
246/5	0.202
246/6	0.170
247/7	0.081
246/8	0.267
246/9	0.100
246/10	0.012
246/16	0.247
246/17	0.202
246/11	0.364
246/12	0.049
246/13	0.081
249/4	0.405
246/14	0.383
246/18	0.081
246/19	0.526
246/20	0.405
246/22	0.012
246/23	0.271
276/3	0.041
246/21	0.162
276/4	0.178
247	1.923
248/1	3.828
248/2	0.405
249/1	5.998
249/2	2.898
249/3	2.699
250/1	1.854

(1)	(2)
251/1	0.507
251/6	0.507
251/2	0.810
251/4	0.809
251/3	0.506
251/5	0.507
252/2	0.304
253	1.233
254/1	1.266
254/2	1.544
254/3	0.712
255/1	0.615
254/4	0.555
256	0.943
267/1/1/1	7.792
267/2	0.324
267/9	0.850
267/12	0.566
267/1/2	9.205
267/3	0.822
267/1/3	8.200
267/4	0.849
267/5	0.849
267/6	0.809
267/7	0.510
267/8	0.624
267/10	1.028
267/11	0.956
267/27	1.627
274	1.643
276/5	0.089
276/6	0.121
195/2	2.322
195/9	0.784
195/3	0.783
197/1	2.876
197/2	5.060
166	2.473
167/1	0.007
171	1.263
167/3	0.028
167/2	0.126
167/4	0.014

(1)	(2)
167/5	0.028
योग . .	412.474

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नवीन बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 230-भू-अर्जन-देपालपुर-1.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—देपालपुर
(ग) नगर/ग्राम—रणमल बिल्लौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—220.068 हेक्टयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
82/2	1.720
254/2	0.174
83/1	1.586
83/2	1.267
84	3.476
85/1	1.995
85/2	1.995
86	2.833
87	1.133
88	3.714
89/1	2.322
183/1	0.987
183/2	0.352
183/3	0.352
183/4	0.348
184/1	0.441
184/2	0.441
255/3/2	1.263
185/2	0.334
185/7	0.075
185/6	0.408
186/2	0.300
186/3	0.300
186/4	0.400
255/23	0.100
185/1	0.817
187/3	1.012
188/2	1.753
189/2	2.573
185/4	1.291
187/1	0.604
188/4	0.032
189/3	1.084
185/3	0.829
185/5	0.061
188/1	0.057
189/1	0.453
187/2	0.397
188/3	0.113
188/6	1.392
189/4	3.056
188/7	0.510
189/5	0.937
191/1	1.822
190	0.849
191/2	1.822
192	1.740
193	0.898
230/2	0.304
231/7	0.081
232/3	0.028
233/3	0.291
233/5	0.526
234/3	0.081
261/7	1.036

(1)	(2)
194/1	0.314
194/2	0.182
255/11	0.890
255/20	1.133
257/10	0.405
194/4	0.890
194/3	0.759
195/1	0.486
232/2	1.024
234/5	0.020
196	1.343
197	3.156
198	5.889
195/2	0.485
199/1	1.816
201/2	0.846
231/4	0.695
232/1	0.332
234/1	0.020
201/1	0.587
200/1	0.756
201/3	0.259
200/3	0.757
199/2	1.619
200/2	0.757
202	0.931
203/1	3.496
203/3	0.759
203/2	3.385
204/1	1.157
204/2	0.821
204/3	0.825
205/1/4	0.040
206	2.161
205/4	0.129
205/5	0.162
205/6	0.238
255/22	0.100

(1)	(2)
221	4.096
231/2	0.231
231/8	0.041
233/4	1.357
234/4	1.153
247	0.162
248	1.181
251	0.914
258	2.135
222/2	1.821
222/3	0.437
222/4	0.704
222/5	0.405
255/6	0.100
222/6	0.500
227	3.043
228/1	1.521
228/2	0.761
228/3	0.761
229/1	0.137
231/1	0.466
231/5	0.263
233	0.263
252/2	1.250
261/8	0.405
262/3	0.639
229/2	0.369
230/1	0.101
231/3	0.041
231/6	0.093
233/2	0.295
234/2	0.061
252/1	1.251
261/4	1.035
235	0.057
236	0.057
238	0.032
257/1/4	0.012

(1)	(2)
239	0.049
243	0.040
241	0.044
242	0.056
245/1	0.036
253/1	1.608
245/2	0.037
253/2	1.608
246	0.405
249	0.409
250	0.745
254/3	0.500
254/4	0.500
255/1/1	0.230
261/2	1.241
261/12	1.240
262/2	0.318
262/4	0.318
255/1/1/2	0.231
255/2/2	0.243
259	0.959
260/2	0.486
260/1	0.729
255/1/2/3	1.943
255/8	0.080
255/3/3	1.265
255/4	1.476
255/5	0.243
255/7	0.243
255/9	0.224
255/10	0.425
255/12	1.415
255/13	2.023
267/4	1.112
255/16	0.263
267/5	1.071
255/17	0.243
267/6	1.052
255/18	0.243
267/7	1.091
255/19	0.243
267/8	1.031
255/14	2.023
255/15	0.323
255/21	2.023
255/24	0.600
255/25	0.600
255/26	0.600
256/1	0.297
256/2	0.297
256/3	0.297
256/4	0.297
256/5	0.297
257/3	0.271
257/4	1.052
257/5	0.165
257/6	2.023
257/9	2.023
261/1	2.529
261/5	4.046
261/6	2.833
261/10	3.541
261/11	2.529
261/13	1.012
262/1	20.234
263/1	0.447
263/4	0.446
263/5	0.446
264/1	0.664
264/2	0.667
265/1	0.894
265/3	0.894

(1)	(2)
261/3/1	0.234
261/3/2	1.655
261/3/3	0.219
261/3/4	0.219
263/2	1.785
263/3	0.446
264/3	0.664
264/4	0.664
265/2	0.894
265/4	0.894
266/1	1.426
266/2	1.202
267/1/2	0.675
267/3	1.619
267/9	1.348
267/2	0.864
267/10	0.633
योग . .	220.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नवीन बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 232-भू-अर्जन-देपालपुर-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर

(ख) तहसील—देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम—अम्बापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—64.147 हेक्टयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
2	6.534
2/49	0.680
4/1	1.964
4/2	9.728
5	0.640
6	4.776
7	4.521
9/1	7.600
9/2	0.486
11	9.728
12/1	0.291
12/2	0.551
13/1	10.214
13/2	2.618
13/3	0.486
23	1.044
24/1	0.856
24/2	0.621
25	0.809
योग . .	64.147

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नवीन बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.